

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3786
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए
इस्पात आयात में उल्लेखनीय वृद्धि

3786. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) हमारे देश के तैयार इस्पात के शुद्ध निर्यातक से शुद्ध आयातक बनने के पीछे क्या कारण हैं और इस बदलाव में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं;
- (ख) क्या हाल के महीनों में इस्पात आयात में अचानक और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो आयात के देशवार रुझान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) विशेषकर बढ़ती हुई आयात प्रतिस्पर्धा के आलोक में, घरेलू इस्पात उत्पादकों को सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;
- (घ) क्या इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पर हाल ही में स्पष्टीकरण, जिसमें मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए बीआईएस अनुपालन अनिवार्य किया गया है, ने इस्पात क्षेत्र में एमएसएमई कंपनियों के लिए उत्पादन और आयात लागत में वृद्धि की है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो संक्रमणकालीन समर्थन, छूट या राहत तंत्र सहित एमएसएमई को संभावित नुकसान या बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार देश में इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। आयात और निर्यात के संबंध में निर्णय इस्पात कंपनियों द्वारा प्रौद्योगिकी-वाणिज्यिक विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं।

इस्पात का आयात वर्ष 2022-23 में 6.022 एमटी से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 9.55 एमटी हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रथम तिमाही में इस्पात आयात 1.38 एमटी है।

जारी.....2/-

सरकार ने इस्पात के आयात में कमी लाने और आयात पर निर्भरता कम करने हेतु घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

- i. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
- ii. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।
- iii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और बड़े पैमाने पर आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ घरेलू बाजार में निम्न स्तर/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश लागू करना।
- iv. केंद्रीय बजट 2024-25 में, घरेलू विनिर्माताओं का सहयोग करने और घरेलू इस्पात विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए :-

क. फेरो-निकल और मोलिब्डेनम अयस्कों व सांद्रों, जो इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल हैं, पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

ख. फेरस स्क्रेप पर बीसीडी छूट 31.03.2026 तक जारी रखी गई है।

ग. कोल्ड रोल्ल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर छूट दिनांक 31.3.2026 तक जारी रखी गई है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ मद 7226 11.00 के अंतर्गत आने वाले सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए निर्दिष्ट कच्चे माल पर भी छूट बढ़ा दी गई है।

- v. कुछ इस्पात उत्पादों जैसे लौह, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा) के सीमलेस ट्यूब, पाइप और होलो प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से) से संबंधित पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।
- vi. चीन और वियतनाम के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।
- vii. सरकार ने कुछ गैर-मिश्रधातु व मिश्रधातु इस्पात प्लेट उत्पादों के आयात पर मूल्यानुसार 200 दिनों के लिए 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाया है।